कार्यालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, डुमरी (गिरिडीह)।

विविध वाद सं0: .02/2020-21

अंचल अधिकारी, डुमरी -बनाम- युसूफ अंसारी.

आदेश का क्रमांक एवं दिनांक	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं तिथि
1	2	3
12.02.2021	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, डुमरी से प्राप्त अभिलेख विविध वाद सं. 22/19-20 का अवलोकन किया गया। आवेदक, युसूफ असंारी, पिताः स्व. बसीरूद्धीन अंसारी, साकिनः परसाबेड़ा, थाना नं. 65, खाता नं. 52, प्लॉट नं. 441, 438 रकवा 29डी. भूमि जो रैयती खाते की है, उक्त भूमि में आवेदक के पिता बसीरूद्धीन अंसारी द्वारा निबंधित दस्तावेज सं. 2789 दिनांक 05.03.2002 को खाता नं. 52, प्लॉट नं. 441, 438 कुल रकवा $7\frac{1}{2}$डी. भूमि, बीबी मकबुलनी, पतिः सकुर मियाँ को बिक्री कर दिया गया। क्रेता, मकबूलनी, द्वारा उक्त निबंधित दस्तावेज को भूल वश दो बार दाखिल-खारिज करा लिया गया। जिसका वाद संख्या 1160/2007-08 एवं शिविर न्यायालय वाद सं. 394/2011-12 है, जिसकी जमाबंदी पंजी-II के भोलुम संख्या V के पृष्ठ संख्या 15 एवं पृष्ठ संख्या 85 पर इन्द्राज है। जबकि मूल जमाबंदी खतियानी रैयत, लटू मियां, के नाम से संधारित है। जिसका पंजी-II के पृष्ठ संख्या 53 पर खाता नं. 52 में 16डी. भूमि इन्द्राज है। मूल जमाबंदी से एक हीं निबंधित दस्तावेज का दो बार दाखिल-खारिज हो जाने के कारण $7\frac{1}{2}$डी. के स्थान पर 15डी. भूमि घटा दिया गया है, जिसके कारण मूल जमाबंदी में मात्र 1डी. भूमि बच जाता है। जबकि क्रेता द्वारा मात्र $7\frac{1}{2}$डी. भूमि क्रय किया गया है। अतः राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अंचल अधिकारी, डुमरी के अनुशंसा के आलोक में दाखिल-खारिज वाद संख्या 394/2011-12 को रद्द किया जाता है। तत्पश्चात, अंचल अधिकारी, डुमरी को आदेश दिया जाता है कि ऑनलाईन पंजी-II में सुधार करते हुए लटू मियां के नाम से कायम जमाबंदी में $8\frac{1}{2}$डी. भूमि का रसीद निर्गत किया जाय। अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 12.02.2021 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, डुमरी। 12.02.2021 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, डुमरी।	